# बिहार सरकार
# ग्रामीण कार्य विभाग

## अधिसूचना

अ0स0 :–3/अ0प्र0–1–118/2013 863 /पटना, दिनांक :– 24.4.2020

श्री राजमौली चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा के विरूद्ध एकंगरसराय प्रखंड में दो पथों यथा तेलहाड़ा लिबड़ी रोड से बिजोखरी (BR-24R-012) तथा एकंगरसराय रोड से रसीसा पथ (BR-24R-025) में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर अधिसूचना संख्या–3504–सह–पठित ज्ञापांक 3505 अनु0 दिनांक 29.11.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 412 अनु0 दिनांक 30.01.2017 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें विभागीय जांच पदाधिकारी एवं SQM के निरीक्षण प्रतिवेदनों में विरोधाभाष होने के आलोक में संदेह का लाभ देते हुए श्री चौधरी को आरोपों से मुक्त किये जाने का निष्कर्ष संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से NQM एवं SQM के जांच प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए Seal Coat Type 'A' का कार्य नहीं कराने के आरोप को अप्रमाणित माना गया है। समीक्षोपरांत यह भी पाया गया कि NQM/SQM के द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में बिटुमिनस सरफेस कार्य को 'S' अंकित किया गया है किन्तु NQM द्वारा दिनांक 28.07.2013 के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार जॉचित बिन्दु 500 मीटर पर 22 मी0मी0 दर्ज है, जो प्रावधानित 20 मी0मी0+06 मी0मी0=26 मी0मी0 से कम है।

4. उक्त आलोक में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 229 अनु0 दिनांक 01.02.2018 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री चौधरी के पत्रांक शून्य दिनांक 09.08.2018 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान में Seal Coat के संदर्भ में MORD के Specification for Rural Road के प्रावधान के अनुरूप कराये जाने का उल्लेख करते हुए मामले में SQM एवं NQM के निरीक्षण प्रतिवेदन का जिक्र किया गया। साथ ही संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा मामले में किये गये पथ के निरीक्षण का उल्लेख करते हुए अन्य तकनीकी बिन्दुओं का भी उल्लेख किया गया।

6. श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर तकनीकी मंतव्य की मांग मुख्य अभियंता–2 से किया गया। मुख्य अभियंता–2 द्वारा श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार किये जाने का मंतव्य दिया गया।

7. तद्‌लोक में इस पूरे प्रकरण की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि MORD के Specification for Rural road के कंडिका–510.2.2 में Seal Coat टाईप 'A' की पृथक मोटाई का उल्लेख नहीं है, अपितु 10$M^2$ क्षेत्रफल में 9.8 kg

विटुमन के स्प्रेंडिंग एवं इसके उपर 6.7mm साईज को $0.09M^3$ मात्रा का छिड़काव करने का प्रावधान है। तदुपरान्त पथवेलन से समुचित चपाई का प्रावधान है, ताकि स्टोन चिप्स विटुमन पूरी तरह चिपक जाये एवं Uniform close surface carpet तैयार हो जाय। वर्णित पथ में जांच प्रतिवेदन के अनुसार Chainage 3.26 कि0मी0 पर Bituminus Layer की Thickness 19mm पाई गई है। Seal Coat का कार्य पूर्ण होने के पश्चात Thickness में कमी संभव नहीं है। इस प्रकार श्री राजमौली चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नही पाया गया।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके पेंशन से अगले पाँच वर्षो तक 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9. श्री चौधरी के विरूद्ध उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 277 अनु0 दिनांक 10.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक 3388 दिनांक 17.03.2020 द्वारा दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

10. अतः उक्त के आलोक में श्री राजमौली चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रश्नगत् मामले में प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

**(i) पेंशन से 05 (पाँच) वर्षों तक 50 (पचास) प्रतिशत की कटौती।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 22/4/2020
(संजय दूबे)
अपर सचिव

**ज्ञापांक** :-3/अ0प्र0-1-118/2013 864 /पटना, दिनांक :- 24.4.2020

**प्रतिलिपि**:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/4/2020
अपर सचिव

**ज्ञापांक** :-3/अ0प्र0-1-118/2013 864 /पटना, दिनांक :- 24.4.2020

**प्रतिलिपि**:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/4/2020
अपर सचिव

**ज्ञापांक** :–3 / अ0प्र0–1–118 / 2013 864 / पटना, दिनांक :– 24.4.2020

**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / योजना एवं विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा / प्रशाखा पदाधिकारी (लेखा), ग्रामीण कार्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री राजमौली चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हिलसा सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :– "रामायण", अशोक नगर, पोखरिया (हरिजन स्कूल के पूरब) पोस्ट + थाना + जिला– बेगूसराय, पिनकोड–851101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/4/2020
अपर सचिव

**ज्ञापांक** :–3 / अ0प्र0–1–118 / 2013 864 / पटना, दिनांक :– 24.4.2020

**प्रतिलिपिः**– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 3388 दिनांक 17.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 22/4/2020
अपर सचिव

**ज्ञापांक** :–3 / अ0प्र0–1–118 / 2013 864 / पटना, दिनांक :– 24.4.2020

**प्रतिलिपिः**– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 22/4/2020.
अपर सचिव